



केन्द्रीय विद्यालय नसीराबाद (अजमेर)



वर्ष 2023-24 हेतु फर्मों का पंजीकरण

वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु वस्तुओ/सेवाओ की आपूर्ति हेतु वित्तीय एवं वैधानिक रूप से सक्षम एवं अनुभवी निर्माता एवं सेवा प्रदानकर्ता फर्म (जिनका कि सेल्स टैक्स अधिनियम के तहत विधिवत पंजीकरण हो तथा जिनका जी.एस.टी. क्रमांक, पेन नं. , FSSAI certificate आदि उपलब्ध हो) जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर, CCTV कैमरा, मैडल, मुद्रण एवं प्रिंटिंग और प्रकाशन के कार्य, फर्नीचर एवं फिक्चर , पुस्तकालय की किताबे, स्टेशनरी, फोटोग्राफी, प्रयोगशाला का सामान, वाद्ययंत्र, खेलखूद का सामान, दृश्य एवं श्रव्य (Audio Visual Aids) के साधन, यातायात के साधन इत्यादि, बिजली तथा सेनेटरी का सामान, इमारत बनाने एवं विद्यालय के बिल्डिंग रिपेयरिंग एवं मेंटेनेस सम्बंधित अन्य सामान, जनरेटर सेट, वाटर कूलर एवं प्युरीफायर, फोटोस्टेट मशीन की AMC सेवा, खान-पान सम्बन्धी सुविधा, सिक्यूरिटी गार्ड, माली व सफाई की सेवाए इत्यादि सम्बन्धी व्यवसाय करने वाले सभी आवेदन कर सकते हैं। उपर्युक्त सेवाए विस्तृत नहीं, अतः अन्य व्यवसाय से जुड़े व्यापारी भी पंजीकरण करवा सकते हैं।

इच्छुक व्यक्ति / संस्थाए पंजीयन हेतु आवेदन पत्र PAN/TIN/TAN/Registration of firm /EPF/ ESI पंजीयन की प्रमाणित छायाप्रति के साथ में दिनांक 20.03.2023 से 10.04.2023 तक पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 02.00 बजे के बीच निर्धारित पंजीकरण आवेदन पत्र विद्यालय के वेबसाइट www.nasirabad.kvs.ac.in से डाउनलोड कर समस्त दस्तावेज सहित (PAN/TAN, GST, Registration certificate, EPF, ESI, PSARA Licence, Audited balance Sheet, Profit and loss account, permission from SP/ DIG for security guard and labour license from labour department, FSSAI certificate) व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक के माध्यम से जमा कर पंजीयन करा सकते हैं।

आवश्यक सूचना : पंजीकरण के लिए अधिमान विशिष्ट व्यवसायी / सेवा प्रदान करने वालो को मिलेगा अतः आवेदक केवल उसी सामान/ सेवा के लिए आवेदन करे जिसमे वह मुख्य व्यवसाय करता हो।

रमेश चन्द्र मीणा,

प्राचार्य